कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–मा/सी–7/हिन्दी/स्थानांतरण/2019 दिनांक–29.09.2019 के तहत् श्री रतन लाल, व्याख्याता (हिन्दी) राउमावि, श्री करनपुर (श्रीगंगानगर) का स्थानान्तरण, राउमावि, रोजड़ी (श्रीगंगानगर) किया गया। श्री रतन लाल ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सी. याचिका संख्या–15330/2019 श्री रतन लाल बनाम सरकार एवं अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या–15330/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक–18.10.19 द्वारा याचिकार्थी श्री रतन लाल को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व निर्णित प्रकरण याचिका संख्या–15035/19 विमला सोनी बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक–17.10.19 द्वारा याचिकार्थी से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर इसे एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थी श्री रतन लाल द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं की पत्नी किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित होने तथा चार वर्षों से लगातार सप्ताह में दो बार उनका डायलीसिस होने, स्थानान्तरण 150 कि.मी. की दूरी पर होने के कारण पत्नी का डायलीसिस करवाने में मुश्किल होने एवं स्वयं की सेवानिवृत्ति में मात्र 15 माह का समय ही शेष रहने के कारण स्थानान्तरण 1–राउमावि, सरदार सिंह पुर नग्गी, 36 एच, करनपुर, 2–राउमावि, 31 पी.एस.रायसिंहनगर, 3–राउमावि, बाजूवाला, रायसिंहनगर में करने हेतु परिवेदना प्रस्तुत की गई है।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पूर्व निर्णित प्रकरण याचिका संख्या–15035/19 विमला सोनी बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक–17.10.19 एवं राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। जहां तक विमला सोनी के प्रकरण का प्रश्न है तो इस संबंध में उल्लेखनीय है कि श्रीमती सोनी को गृह जिले से बाहर अन्य जिले में पदस्थापित किया गया था और उनके द्वारा गृह जिले में कहीं पर भी पदस्थापित किये जाने हेतु निवेदन किया गया था जिस पर विभाग द्वारा स्वीकार कर गृह जिले में पदस्थापित कर अनुतोष प्रदान किया गया था। याचिकार्थी पहले से ही अपने गृह जिले में पदस्थापित है इसलिए और समीपस्थ/वांछित स्थान पर पदस्थापित किये जाने की उनकी मांग उचित नहीं है। यह विधि सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकार पूर्वक नहीं की जा सकती। याचिकार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए याचिकार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित

किया जाता है। उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 18.10.2019 में विभाग को याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में सकारण आख्यात्मक आदेश द्वारा निस्तारण के आदेश प्राप्त थे। चूंकि श्री रतन लाल का अभ्यावेदन उपर्युक्त आधारों पर खारिज किया जा चुका है, अतः इन्हें निर्देशित किया जाता है कि ये विभागीय आदेश दिनांक–29.09.2019 की अनुपालना में तत्काल कार्यमुक्त हो कर अपने स्थानान्तरित स्थान राउमावि, रोजड़ी (श्रीगंगानगर) में व्याख्याता (हिन्दी) के पद पर दिनांक–08.11.19 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करें। अन्यथा इनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–7/हिन्दी/स्था.को.के./रतन लाल/15330/2019/ 28 **दिनांक–** 04/11/19

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जाता है कि वे श्री रतन लाल के निर्धारित तिथि तक स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किये जाने की स्थिति में उनके विरूद्ध सीसीए–17 में विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव इस कार्यालय के विभागीय जाँच अनुभाग–प्रथम को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्रधानाचार्य राउमावि, श्री करनपुर (श्रीगंगानगर)/राउमावि रोजड़ी (श्रीगंगानगर)।
9. कार्मिक श्री रतन लाल, व्या0 हिन्दी, राउमावि, श्री करनपुर (श्रीगंगानगर)
10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर